# समाहरणालय, औरंगाबाद

(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

Email- adss.aurangabad@gmail.com

## -:सूचना:-

राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना के पत्रांक- 896 दिनांक- 18.06.2020 के द्वारा 140वीं हेलेन केलर जयन्ती (27 जून 2020) के अवसर पर राज्य निवासी दिव्यांगजनों एवं उससे जुड़े व्यक्तियों व संस्थाओं व सरकारी अधिकारीगण व अन्य के साथ विविध ऑनलाईन मीडिया साधन यथा- विडियो कॉन्फ्रेसिंग, यूट्यूब, फेसबुक, ट्वीटर, व्हाट्सएप्प आदि के माध्यमों से वर्चुअल ई-जन जागरूकता-सह-ई-संवाद कार्यक्रम का आयोजन कर दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों के संरक्षण, उनके कल्याणर्थ संचालित योजनाओं, अपने समस्याओं/शिकायतों को ऑनलाईन लोक अदालत के माध्यम से समाधान एवं अगामी बिहार विधान सभा चुनाव 2020 में मतदान का अधिकार के संबंध में जागरूक किये जाने का निदेश प्राप्त हुआ है।

उक्त के आलोक में दिनांक- 27.06.2020 को 140वीं हेलेन केलर जयन्ती के अवसर पर दिव्यांगजनों के साथ ई-संवाद के माध्यम से हेलेन केलर जयन्ती के थीम "शत प्रतिशत दिव्यांगजन करे अपने मताधिकार का प्रयोग (सरल, सुगम, समावेशी एवं बाधा रहित मतदान) एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में प्रदत अधिकार (सुरक्षा, सरक्षण, पूर्ण भागीदारी, हिस्सेदारी एवं प्रोडक्टिव सीटीजन मिले बिहार के हर दिव्यांगजनों के द्वार-द्वार" के संबंध में निम्न तरह का Action Plan तैयार किया गया है:-

सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, निम्न संसाधनो यथा- पंचायत स्तर पर गठित दिव्यांगजन समूह, कार्यपालक सहायक, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, विकास मित्र, ग्रामीण आवास सहायक के माध्यम से प्रखण्ड स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक जागरूकता अभियान चलायेंगे।

जिला प्रबंधक सक्षम, बिहार, (बुनियाद केन्द) औरंगाबाद अपने स्तर से सभी तकनीकी कर्मी को अपने आवंटित प्रखण्ड में दिव्यांगजनों को ई-संवाद द्वारा हेलेन केलर जयन्ती के थीम के संबंध में जानकारी उपलब्ध करायेंगें।

सिविल सर्जन, औरंगाबाद एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद अपने स्तर से विभिन्न संसाधानों के माध्यम से दिव्यांगजनों को जागरूक करने हेतु अभियान चलायेंगें।

जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, औरंगाबाद अपने स्तर से 140वीं हेलेन केलर जयन्ती के अवसर पर दिनांक- 27.06.2020 को आयोजित उक्त कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से करायेंगें।

सभी स्वयंसेवी संस्था/रेड क्रॉस सोसाईटी, औरंगाबाद अपने स्तर से दिव्यांगजनों को जागरूक करेंगें।

सभी संबधित पदाधिकारी से अनुरोध है कि राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना द्वारा दिये गये निदेश के आलोक मे तैयार किये गये Action Plan के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करेंगें एवं इस संबंध में की गयी कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगें।

अनु०- विभागीय पत्र।

ह०/-

सहायक निदेशक
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग
-सह-
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग
औरंगाबाद।

ज्ञापांक- 442 /सा०सु०        दिनांक- 25-6-2020

प्रतिलिपिः- अनुमण्डल पदाधिकारी, औरंगाबाद/दाउदनगर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रषित।
प्रतिलिपिः- उप निर्वाचन पदाधिकारी, औरंगाबाद की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रषित।
प्रतिलिपिः- उप विकास आयुक्त, औरंगाबाद की सेवा मे सादर सूचनार्थ प्रषित।
प्रतिलिपिः- जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रषित।
प्रतिलिपिः- राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना की सेवा मे सादर सूचनार्थ प्रषित।
प्रतिलिपिः- निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रषित।

25/6/2020

सहायक निदेशक
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग
-सह-
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग
औरंगाबाद।

Scanned with CamScanner